तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टीए/3523/2000/अलवर श्यामसुन्दर बनाम नारायण व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य

उपस्थित–
श्री हिमान्शु सोगानी, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री कैलाश चन्द शर्मा एवं श्री पवन पारीक, अधिवक्तागण, अप्रार्थीगण

निर्णय
दिनांकः– 16–07–2019

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09–05–2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार न्यायालय ने वादीगण द्वारा मियाद बाहर पेश किए गए प्रार्थना पत्र दिनांक 22–09–1999 बाबत प्रतिवादी संख्या 4 लालचन्द के नाम के आगे मृतक दर्ज किया जाकर मुकमदे में तनकीयात कायम किए जाने की कार्यवाही को स्वीकार किया है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की निगरानी के संबंध में बहस सुनी।

प्रार्थीगण/वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रतिवादी संख्या 4 लालचंद के देहान्त की पूर्ण जानकारी वादी को होने के बावजूद वादी ने निर्धारित समयावधि में मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित किए जाने बाबत कोई आवेदन नहीं करने के वादीगण का सम्पूर्ण दावा अबेट हो गया। आगे बताया कि प्रतिवादी लालंचद के देहान्त होने पर दावा अबेट हो चुका है और शेष दावा लालचंद की अनुपस्थिति में चल नहीं सकता, इसलिए सम्पूर्ण दावा

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **निगरानी./टीए/3523/2000/अलवर** **श्यामसुन्दर बनाम नारायण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अबेट हो चुका है। उनका कथन है कि लालंचद मूल वाद में आवश्यक पक्षकार होने के कारण उसके देहान्त के कारण वादीगण का दावा अबेट हो चुका है। आगे बताया कि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जिस व्यक्ति के द्वारा दावे में मुख्य अनुतोष चाहा गया है वह आवश्यक पक्षकार है तथा आवश्यक पक्षकार के अभाव में दावा नहीं चल सकता। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण के दावे की मूल प्रकृति पर विचार किए बिना ही आक्षेपित निर्णय पारित किया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 5 झूंथा पुत्र ख्याली भी फौत हो चुका है, इस कारण भी वादीगण का वाद अबेट हो गया है। उक्त समस्त तथ्यात्मक एवं विधि परिवेश में मामले में अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के स्थापित सिद्धान्तों के विपरीत आक्षेपित निर्णय पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत निगरानी स्वीकार उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09–05–2000 को निरस्त कर वादीगण के सम्पूर्ण वाद को अबेट होने से खारिज करने का निवेदन किया। इसके विपरीत अप्रार्थीगण/वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय को विधि सम्मत होना कहा है तथा बताया कि मृतक लालचंद के विरूद्ध वादीगण ने कोई अनुतोष नहीं चाहा है। उनके द्वारा प्रस्तुत दावे में मात्र प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2/1 लगायत 2/4 व प्रतिवारी संख्या 3 के विरूद्ध ही अनुतोष चाहा गया है। उनका तर्क है कि केवल प्रतिवादी संख्या 4 लालचंद के आगे मृतक दर्ज किया जाकर आगे की कार्यवाही बढाने की आवश्यकता है। उक्त समस्त तथ्यात्मक परिवेश में आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत है जिसमें निगरानी के माध्यम से किसी	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **निगरानी./टीए/3523/2000/अलवर** **श्यामसुन्दर बनाम नारायण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अन्त में उन्होंने प्रार्थी की निगरानी निरस्त कर आक्षेपित निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में 1996 आरआरडी 127, 1987 एआईआर एससी 1766 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किए। हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों एवं पत्रावली का अवलोकन किया। मामले में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 1/190 बउनवान हण्डू बनाम श्यामसुन्दर वगैरहा के विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 4 लालचंद के देहान्त होने के कारण न्यायालय के समक्ष वादीगण ने दिनांक 22-09-1999 को पेश कर वाद में आगे की कार्यवाही सम्पादित करने बाबत मियाद बाहर प्रार्थना पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र का प्रतिवादी द्वारा पेश जवाब तथा उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 09-05-2000 पारित करते हुए वादीगण का दावा मृतक लालचंद के विरूद्ध अबेट होना निर्धारित कर शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध आगे की कार्यवाही जारी रखा जाना अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय निम्नानुसार हैः- **"प्रार्थना पत्र वादीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि मृतक लालचन्द प्रतिवादी संख्या 4 का प्रार्थना पत्र मरम्मत सवाल अन्दर अवधि प्रस्तुत नहीं होने के कारण प्रतिवादी संख्या 4 लालचन्द पुत्र दीवान चन्द खत्री निवासी देसूल के विरूद्ध पेशकर्त्ता दावा अबेट किया जाता है शेष अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावे में अग्रिम कार्यवाही जारी रहेगी"।** आक्षेपित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि न्यायालय ने मृतक के विरूद्ध मियाद बाहर पेश किए गए प्रार्थना पत्र के क्रम में वादीगण के वाद को	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टीए/3523/2000/अलवर श्यामसुन्दर बनाम नारायण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रतिवादी मृतक लालचंद के विरूद्ध अबेट होना निर्धारित करते हुए शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावे की आगामी कार्यवाही को जारी रखा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में किया गया विवेचन विधि के परिप्रेक्ष्य में उचित है, क्योंकि वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से विवेचित किया कि मृतक के विरूद्ध वादीगण ने किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा है तथा वादीगण द्वारा अपने दावे में केवल प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 2/4 व प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध ही अनुतोष चाहा है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का यह अभिमत कि प्रतिवादी संख्या 4 लालचंद के विरूद्ध पेश दावा अबेट कर शेष अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावे की कार्यवाही को जारी रखने के मत से यह न्यायालय पूर्णतया सहमत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में किए गए विवेचन में किसी विधि का उल्लंघन या अपनी क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया जाना प्रतीत नहीं होता है। अतएवं आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत होकर उसमें निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अतः हमारी सुविचारित राय में प्रस्तुत निगरानी सारहीन पाये जाने के कारण निरस्त की जाकर आक्षेपित आदेश को यथावत रखा जाना समीचीन है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा पारित निर्णय 09–05–2000 को यथावत रखा जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(प्रवीण गुप्ता) सदस्य**	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **निगरानी./टीए/3523/2000/अलवर** **श्यामसुन्दर बनाम नारायण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए